मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 (फाल्गुन 19, शक संवत् 1938)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20 एवं 21) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 118 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 157 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

(क) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस पर वेट टैक्स संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 4147) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

(ख) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा शासकीय सागर जिलांतर्गत विक्रय पत्र का पंजीयन/रजिस्ट्रेशन संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 4665) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 22 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तद्नुसार –

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा विकास कार्य की राशि का दुरूपयोग करने,
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर क्षेत्र में स्पा सेंटरों में चल रहे सेक्स रैकेट पर कार्रवाई करने,
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले में राजस्व अभिलेखों की कम्प्यूटर फीडिंग में घोर लापरवाही होने,
(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की विक्रम विश्वविद्यालय सभा(कोर्ट) की बैठक आयोजित करने,
(5) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की मध्यप्रदेश शासन द्वारा तीस वर्ष बाद भी शिक्षकों व सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति / समयमान वेतन न दिये जाने,
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में बी.पी.एल. कार्ड बिना सूचना के निरस्त करने,
(7) श्री के.डी.देशमुख, सदस्य की बालाघाट के कटंगी विधानसभा क्षेत्र की शालाओं में नवीन कक्षों के निर्माण करने,
(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एल-एल.बी. पाठ्यक्रम प्रारंभ न होने,
(9) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिला अस्पताल में एम.सी.एच.की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुकने,
(10) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की विद्युत कंपनी द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किये जाने,
(11) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की सीहोर जिले के आष्टा में आदिवासी ग्रामों में माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन करने,
(12) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य की भितरवार विधानसभा क्षेत्र में नयागांव से करैया रोड कई वर्षों से खराब होने,
(13) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की जबेरा विधानसभा के अंतर्गत पेयजल संकट होने,
(14) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पानी की गुणवत्ता की जांच के नाम पर अपव्यय किये जाने,
(15) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य की चम्बल नदी पर पुल का निर्माण न किये जाने,
(16) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की अशोक नगर जिले के पिपरई को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग करने,

(17) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला जिले के खारी हाईस्कूल में भवन न होने,
(18) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले की तहसीलों में पेयजल संकट होने,
(19) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य की अनूपपुर जिले के शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय की सड़क का पुनर्निर्माण करने,
(20) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की इन्दौर एवं उज्जैन नगर में गौ-पालकों के बाड़े बगैर पूर्व सचना के तोड़े जाने,
(21) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की शहडोल जिले में धान उपार्जन केन्द्रों के प्रासंगिक व्यय में अनियमितता होने तथा
(22) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की द्वार प्रदाय योजना में खाद्यान्न गोदामों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न न मिलने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. शून्यकाल में उल्लेख

(1) सिहावल एवं जबेरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनेक ग्रामों में विद्युत प्रदाय बंद करने विषयक

सर्वश्री कमलेश्वर पटेल एवं प्रताप सिंह, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रदेश में 10वी एवं 12वी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और सिहावल विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ग्राम अमिलिया, गेरूआ, मुरदाड़ी डी.सी. अंतर्गत एवं जबेरा ब्लॉक के अनेक ग्रामों में विद्युत प्रदाय बंद कर दिया गया है. वहां विद्युत प्रदाय तत्काल प्रारम्भ किया जाए.

(2) अमरपाटन, सतना में परीक्षा पेपर लीक होने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि पूरे प्रदेश में शासकीय स्कूलों की नवीं एवं ग्यारहवीं की परीक्षाओं में प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल से भेजे जाते हैं और अमरपाटन सतना में परीक्षा लीक हो जाने से दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय हुआ है. इससे विद्यार्थियों और पालकों को आर्थिक व मानसिक क्षति हुई है. इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराई जाए.

(3) सिवनी विधान सभा में कोटवारों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल किये जाने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि सिवनी विधान सभा में कोटवारों द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कोटवारों द्वारा असंतोष जाहिर करते हुए वे हड़ताल पर बैठ गये हैं. उनका वेतन बढ़ाने की बात पूर्व में सरकार ने स्वीकार की थी. यह मांग पूरी की जाए.

(4) हनुमना नगर पंचायत में बस स्टैण्ड न बनाये जाने विषयक

श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के हनुमना नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 में बस स्टैण्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है जिसका विरोध स्थानीय निवासी कर रहे हैं. वे जनहित में पूर्व में जहां आर.टी.ओ. कार्यालय था, उसी जगह बस स्टैण्ड बनाना चाहते हैं. उस जगह बस स्टैण्ड बनाया जाए.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में 12 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 4 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने गुना जिले के जंजाली मकसूदनगढ़ सड़क की जर्जर हालत की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री सतीश मालवीय, सदस्य ने उज्जैन जिले के घट्टिया क्षेत्र में पेयजल संकट की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री जितू पटवारी, सदस्य ने इन्दौर एवं रतलाम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवासों को तोड़े जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य ने मक्सी थानान्तर्गत अपराधों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (5) से (12) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(5) श्री कैलाश चावला, सदस्य की मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा बंद पड़े विद्युत मीटर का किराया वसूल किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सीधी जिले में पावर प्लांट द्वारा जबरन भूमि का अधिग्रहण किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की पन्ना जिला सहकारी बैंक के दोषी अधिकारियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर मरम्मत एवं रंग रोगन के नाम पर अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की प्रदेश में संचालित नशा मुक्ति केन्द्र में रोगियों को अमानवीय प्रताड़ना दिये जाने संबंधी सूचना तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की देवास जिले के विद्यालयों में शौचालय निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की लापरवाही से मौतें होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(12) सर्वश्री कुंवर सिंह टेकाम, केदारनाथ शुक्ल, सदस्यगण की सीधी जिले के संजय दुबरी टाईगर रिजर्व क्षेत्र एवं बफर जोन के वन कर्मियों द्वारा बारातियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(2) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(4) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(5) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(6) श्रीमती प्रमिला सिंह (जिला-शहडोल)
(7) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
(8) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(9) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(10) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(11) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(12) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(13) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(14) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)

(15) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(16) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(17) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(18) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(19) श्री रामलाल रौतेल (जिला-अनूपपुर)
(20) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(21) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(22) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(23) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(24) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(25) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(26) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(27) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(28) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(29) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(30) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(31) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(32) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(33) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(34) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(35) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(36) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(37) श्री आर.डी.प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(38) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(39) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(40) श्री वीरसिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(41) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)

उपाध्यक्ष महोदय(डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

8. शासकीय वक्तव्य

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने सतना में कक्षा 9वीं एवं 11वीं का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

9. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमश:)

(9) कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए नौ हजार एक सौ चौरानवे करोड़, अड़तीस लाख, तिरानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए तीन हजार चार सौ तीस करोड़, चौहत्तर लाख, अठहत्तर हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

10. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था दोपहर 1.00 बजे से सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

11. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमश:)

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री मुरलीधर पाटीदार
(3) कुंवर सौरभ सिंह
(4) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) डॉ. मोहन यादव

सभापति महोदय (श्री के.पी. सिंह) पीठासीन हुए.

(7) श्री सुखेन्द्र सिंह
(8) श्री के.के. श्रीवास्तव
(9) श्री हरदीप सिंह डंग
(10) श्रीमती ममता मीना
(11) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(12) श्रीमती शीला त्यागी
(13) श्री वेलसिंह भूरिया
(14) श्री दिनेश राय
(15) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(16) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी

12. अध्यक्षीय घोषणा
अशासकीय कार्य सम्पादन विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – "मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए नियत हैं परन्तु आज स्कूल शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जाएगा.".

13. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमश:)

(17) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(18) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(19) श्री दुर्गालाल विजय
(20) श्री कमलेश्वर पटेल
(21) श्रीमती ऊषा चौधरी
(22) श्री दिलीप सिंह परिहार
(23) श्री बहादुर सिंह चौहान
(24) श्री शैलेन्द्र पटेल
(25) डॉ. कैलाश जाटव
(26) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक

(27) श्री अनिल जैन
(28) श्री नारायण सिंह पंवार
(29) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(30) श्री लखन पटेल
(31) श्री सतीश मालवीय
(32) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(33) श्री पन्नालाल शाक्य
(34) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(35) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(36) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(37) श्री जितू पटवारी
(38) श्री विष्ण खत्री

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. अशासकीय संकल्प

(1) श्री के.पी.सिंह, सदस्य के संकल्प "सदन का यह मत है कि प्रदेश में होने वाले समस्त स्थानीय निर्वाचनों को एक साथ कराया जाए.". पर उनके द्वारा आसंदी से अनुरोध किया कि उनके संकल्प को अगले शुक्रवार को लेने का अनुरोध किया. अध्यक्ष महोदय द्वारा तद्नुसार अनुमति की घोषणा की गई.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि प्रदेश में हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं अन्य परीक्षाएँ प्रतिवर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होती हैं जिसको दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा व्यक्तित्व विकास एवं खेलकूद की समस्त गतिविधियां दिनांक 31 दिसंबर के पश्चात् आयोजित करना अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

डॉ. गोविन्द सिंह सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया.

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

(3) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री एवं श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर मत व्यक्त किया.

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

अपराह्न 5.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2017 (29 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 10 मार्च, 2017